वार्षिक रिपोर्ट और व्यय



2020-21

राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

ANNUAL REPORT
AND
EXPENDITURE
2020-21

National Financial Reporting Authority (NFRA)

भारत सरकार 7th – 8th फ्लोर, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 https://nfra.gov.in

राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)

वार्षिक रिपोर्ट

तथा

व्यय

2020 - 21

भारत सरकार 7th – 8th फ्लोर, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 https://nfra.gov.in

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय १ – प्रस्तावना	8
2.	अध्याय २ - राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की संरचना	લ - દ
3.	अध्याय ३ - प्राधिकरण की बैठकें	૭ - ૮
4.	अध्याय 4-वितीय वर्ष 2017-18 के लिए बीएसआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या : 116231डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024) द्वारा की गई आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सांविधिक लेखापरीक्षा पर एनएफआरए की लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार	८ – १२
5.	अध्याय 5 - वितीय वर्ष 2017-18 के लिए डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या 117366डब्ल्यू/डब्ल्यू-100018) द्वारा की गई आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लेखापरीक्षा के संबंध में दिनांक 07-12-2020 की अनुपूरक लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार	१३ — १५
6.	अध्याय 6-एनएफआरए की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की संरचना	१६ – १८
7.	अध्याय 7 - वर्ष 2020-2021 के दौरान एनएफआरए द्वारा किए गए अन्य प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण	<i>\$6</i> – 58
8.	अध्याय 8 - वर्ष 2020 - 2021 के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय	રુષ

प्रस्तावना

- 1.1 एनएफआरए का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार 1.10.18 को किया गया है।
- 1.2 राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), नई दिल्ली, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। एनएफआरए की स्थापना लोक-हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों से जुड़े अन्य लोगों तथा कारपोरेट निकायों के हितों की रक्षा के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी तथा लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखांपरीक्षा के प्रभावी निरीक्षण के माध्यम से करने के लिए की गई है।
- 1.3 एनएफआरए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निकाय, एनएफआरए के कर्तव्यों और कार्यों आदि का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है :
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132
 - राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018
 - राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2019

उक्त अधिनियम/नियमों को एनएफआरए की वेबसाइट nfra.gov.in में अधिनियम और नियम खंड के अंतर्गत देखा जा सकता है।

1.4 एनएफआरए की स्थापना की आवश्यकता विश्व के विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लेखांकन घोटालों के मद्देनजर, स्वतंत्र नियामकों को स्थापित करने, लेखांकन मानकों को लागू करने और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, और इस प्रकार कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशकों और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए महसूस की गई आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की संरचना

- 2.1 1.10.2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार एनएफआरए का गठन किया गया है।
- 2.2 श्री आर.श्रीधरन को एनएफआरए के अध्यक्ष और डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी को 1.10.18 को एनएफआरए के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। (डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी ने 3.10.18 को पदासीन हुए)।
- 2.3 एनएफआरए के अंशकालिक सदस्य निम्नलिखित हैं :
- (i) श्री के वी आर मूर्ति, संयुक्त सिचव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ;
- (ii) श्री राम मोहन जौहरी, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीआईएसए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय;
- (iii) सुश्री सुधा बालकृष्णन, मुख्य वितीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक;
- (iv) श्री अमरजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड;
- (v)अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई);
- (vi) अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई);
- (vii) अध्यक्ष, लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)।
- (viii) श्री अमरजीत चोपड़ा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पूर्व अध्यक्ष। .
- (ix) श्री अनिल शर्मा, साझेदार (मैसर्स ए शर्मा एंड कंप्रनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली)।
- 2.4 एनएफआरए में प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध, आदि के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती को पुरजोर ढंग से किया गया था और 31.3.2021 को एनएफआरए में कार्यरत कर्मचारी निम्नवत थे:

क्रम सं.	पदनाम	संख्या
1.	सचिव	1
2.	कार्यकारी निदेशक	1
3.	मुख्य महाप्रबंधक	1
4.	सहायक महाप्रबंधक	1
5.	प्रबंधक	1
6.	सहायक प्रबंधक	4
	कुल	9

2.5 उपरोक्त पैरा 2.4 में कर्मचारियों के अलावा, निम्नलिखित व्यक्ति एनएफआरए में 31.3.2021 को कार्य कर रहे थे :


क्रम	पदनाम	नियोजन का	संख्या
संख्या		तरीका	
1.	प्रधान निजी सचिव	एमसीए से ऋण	1
		आधार पर	
2.	सलाहकार/वरिष्ठ सलाहकार	अनुबंध आधार पर	7
3.	पेशेवर	अनुबंध आधार पर	5
	कुल		13

टिप्पणी : इसमें विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से नियोजित बाह्य स्रोतों की जनशक्ति सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है।

2.6 एनएफआरए में प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 5.11.2020 को 21 शहरों में आयोजित की गई थी। इसमें चुने गए उम्मीदवारों का भौतिक सत्यापन/साक्षात्कार 10.1.2021 से 18.1.2021 तक आयोजित किया गया था। इस प्रकार सीधी भर्ती के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

प्राधिकरण की बैठकें

- 3.1 प्राधिकरण के कारोबार के संचालन के लिए बैठकों को राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) नियम, 2019 के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उक्त को दिनांक 22.5.2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377(अ) के माध्यम से द्वारा अधिसूचित किया गया है (प्रति एनएफआरए की वेबसाइट nfra.gov.in पर उपलब्ध है)।
- 3.2 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की बैठकें 23.6.2020, 17.3.21 और 30.3.21 को अध्यक्ष एनएफआरए की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। प्राधिकरण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की सिफारिशों पर विचार किया और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(2)(क) के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सिफारिशें की :
 - (i) कोविड-19-संबंधित किराया रियायतें इंड एएस 116, पट्टें में संशोधन
 - (ii) भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन (इंड एएस 104, इंड एएस 107, इंड एएस 109 और इंड एएस 116) और विभिन्न इंड एएस लेखांकन मानकों में संपादकीय सुधार।
 - (iii) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए वितीय रिपोर्टिंग के लिए नए अवधारणात्मक ढांचे को जारी करने के परिणामस्वरूप भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन (इंड एएस 1, इंड एएस 8, इंड एएस 34, इंड एएस 37, इंड एएस 38, इंड एएस 102, इंड एएस 103, इंड एएस 106 और इंड एएस 114)



विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17.3.2021 को आयोजित एनएफआरए बैठक



विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30.3.2021 को आयोजित एनएफआरए बैठक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बीएसआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या : संख्या 116231डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024) द्वारा की गई आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सांविधिक लेखापरीक्षा पर एनएफआरए की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार।

4.1 वितीय वर्ष 2017-18 के लिए बीएसआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्याः सं.116231डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024) द्वारा की गई आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) रिपोर्ट एनएफआरए द्वारा 17.8.2020 को जारी की गई है। विस्तृत रिपोर्ट एनएफआरए की वेबसाइट nfra.gov.in पर अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। रिपोर्ट का कार्यकारी सार नीचे दिया गया है।

4.2 प्रक्रिया

लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा (एक्यूआर प्रक्रिया) 7 फरवरी, 2019 को प्रारंभ की गई थी। प्रक्रिया के दौरान, बीएसआर एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी, (बीएसआर) के साथ एक बहुत व्यापक और विस्तृत पत्राचार किया गया था, कई प्रश्नों के उत्तर मांगे गए थे, और कई मुद्दों पर अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। एनएफआरए के मध्यवर्ती निष्कर्ष, उक्त के समर्थन में विस्तृत तर्क के साथ, प्रक्रिया में दो चरणों में बीएसआर को उपलब्ध कराए गए थे, और बीएसआर को इनका उत्तर देने का पूरा अवसर दिया गया था। बीएसआर को 27 जुलाई, 2020 को एनएफआरए में मौखिक चर्चा/प्रस्तुतीकरण के लिए भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद, बीएसआर ने इस चर्चा/प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रदान किए। इस एक्यूआर रिपोर्ट (एक्यूआरआर) को तैयार करने में इस समूची सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की गई है।

4.3 जांच परिणाम

4.3.1 वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में बीएसआर की नियुक्ति अवैध थी, क्योंकि बीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(इ) (नियुक्ति की तिथि पर कारोबारी संबंध कायम रखना) और धारा 141(3)(i) (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं का प्रावधान) के उल्लंघन के कारण ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था।

ऐसे सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में **बीएसआर** का बने रहना भी धारा 141(4) का उल्लंघन था।

- 4.3.2 पात्रता के ऐसे अभाव के बावजूद, और इस प्रकार के निष्कर्षों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, एनएफआरए ने एक पूर्ण एक्यूआर संचालित किया है। एक्यूआरआर में विस्तारपूर्वक वर्णित कुछ अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है। अनुवर्ती पैराओं में सूचीबद्ध मामलों को अधिक विस्तार से समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह पूर्ण एक्यूआरआर देखें।
- 4.3.3 लेखापरीक्षण के मानकों (एसए) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता के उदाहरण जिन्हें एक्यूआरआर में प्रलेखित किया गया है, ऐसे महत्व के हैं कि एनएफआरए को यह प्रतीत होता है कि बीएसआर के पास इस आशय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं था, जिसमें कहा गया था कि लेखापरीक्षा एसए के अनुसार संचालित की गई थी।
- 4.3.4 इस संबंध में, एनएफआरए आईसीएआई के रिपोर्टिंग मानकों संबंधी कार्यान्वयन गाइड (नवंबर 2010 संस्करण) में प्रतिउत्तर 12 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि "इस पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण दावा यह है कि लेखापरीक्षा एसए के अनुसार संचालित की गई थी।"; और यह कि "यदि लेखापरीक्षा प्रक्रिया की बाद की समीक्षा के दौरान, यह पाया जाता है कि एसए में वर्णित कुछ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का वास्तव में अनुपालन नहीं किया गया था, तो यह लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर गलत घोषणा करने के समान हो सकता है और लेखापरीक्षक के लिए इसके परिणाम वास्तव में बहुत गंभीर हो सकते हैं।" (महत्त्व देते हुए)
- 4.3.5 बीएसआर और इसके नेटवर्क में अन्य निकाय वस्तुतः अपनी सभी लेखापरीक्षा और गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए में केपीएमजी ट्रेड मार्क और ब्रांड नाम का उपयोग करते हैं, जबिक केपीएमजी से कानूनी रूप से अलगाव दिखाने का स्पष्ट रूप से निरर्थक प्रयास किया जाता हैं। बीएसआर नेटवर्क निकायों के बड़े केपीएमजी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा होने की स्पष्ट सार्वजनिक अवधारणा और उनके बीच कानूनी समझौतों को देखते हुए यह प्रयास स्पष्ट रूप से विफल होता है। नेटवर्क के केपीएमजी नामक निकायों द्वारा तकनीकी रूप से प्रदान की जाने वाली गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं स्पष्ट रूप से बीएसआर निकायों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, और यह कंपनी अधिनियम, साथ ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अधिदेशित नीतिशास्त्र संहिता के तहत निर्धारित लेखा परीक्षकों के लिए स्वतंत्रता अपेक्षताओं के घोर उल्लंघन में परिणत होती है।

4.3.6 आईएफआईएन 31 मार्च, 2018 तक अपने प्रकार के एनबीएफसी के लिए विहित न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) और पूंजी के प्रति जोखिम परिसंपित अनुपात (सीआरएआर) का अनुपालन नहीं कर रहा था। ये संख्या वास्तव में व्यापक रूप से नकारात्मक थी, (न्यूनतम सकारात्मक आवश्यकता के विपरीत) और यह गैर-अनुपालन कुछ समय से जारी था। एक एनबीएफसी के वितीय विवरणों में इन संख्याओं का प्रकटीकरण किया जाना होता है। आईएफआईएन के प्रबंधन ने आरबीआई की गणना पद्धित का विरोध किया और अपनी परिभाषा के अनुसार सकारात्मक संख्या दर्शाने का निर्णय किया। बीएसआर आधस्त था कि आईएफआईएन प्रबंधन स्पष्ट रूप से गलत था। तथापि, वे वितीय विवरणों में प्रकट की गई गलत संख्याओं को मानते रहे, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में केवल एक मामले पर बल (ईओएम) पैरा के साथ खुद को संतुष्ट करते रहे, जबिक ऐसा ईओएम केवल तभी न्यायोचित होता है जब एसए के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रकार, बीएसआर प्रमुख परिमाण और आधारभूत महत्व के एक भौतिक गलत विवरण को प्रकट करने में विफल रहा था।

4.3.7 वर्ष 2017-18 के लिए आईएफआईएन का सूचित कर पूर्व लाभ 201.96 करोड़ रुपये था। यह निम्नलिखित का क्रेडिट लेने/प्रावधान नहीं किए जाने के पश्चात सूचित किया गया था :

- क. सामान्य आकस्मिकता प्रावधान का प्रत्यावर्तन : 225 करोड रुपये;
- ख. व्युत्पन्न परिसंपत्ति का अनुचित मूल्यांकन : 184 करोड़ रुपये;
- ग. निवेश के मूल्य में क्षिति के लिए प्रावधान नहीं किया जाना : 200.20 करोड़ रुपये (इस कुल में कुछ निवेश शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में एनएफआरए क्षिति के संबंध में एक विशिष्ट राशि तक नहीं पहुंच पाया है)।

उपरोक्त सभी मामलों में, बीएसआर ने वितीय विवरणों में अंतिम रूप से सूचित की गई विशिष्ट संख्याओं का समर्थन करने के लिए एसए द्वारा यथापेक्षित पर्याप्त, उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। केवल ऊपर उल्लिखित 3 मदों के जोड़ से आईएफआईएन का लाभ 609 करोड़ रूपये से अधिक बताया गया है।

4.3.8 एसए के कई अन्य कई उल्लंघनों का विवरण एक्यूआरआर में दिया गया है। ये प्रबंधन द्वारा चालू व्यापार (गोइंग कन्सर्न) की धारणा के उपयोग के आकलन, शासन के प्रभारियों द्वारा अपेक्षित संचार का पूर्ण अभाव, भौतिक गलतबयानी के जोखिम का अपर्याप्त और अनुचित मूल्यांकन, गैर-संगत कारकों के आधार पर भौतिक राशि का निर्धारण, आदि से संबंधित हैं।

- 4.3.9 नियोजन गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा (ईक्यूसीआर) तंत्र अभीष्ट कार्य के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त पाया गया।
- 4.3.10 एनएफआरए ने उन सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और प्लेटफॉर्म का भी व्यापक अध्ययन किया है जिनका उपयोग बीएसआर द्वारा उनकी लेखापरीक्षा फाइल प्रलेखन के लिए किया जाता है। एनएफआरए ने पाया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं/प्लेटफॉर्म में किमयां हैं जो प्रणालीगत और संरचनात्मक प्रकृति की हैं, और उपयोग किए गए सॉफ़्टवेयर में आईटी सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना से काफी हद तक उत्पन्न होती हैं। यह इसे लेखापरीक्षा प्रलेखन के इच्छित उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बना देता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या 117366डब्ल्यू/डब्ल्यू-100018) द्वारा की गई आईएल एण्ड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लेखापरीक्षा के संबंध में दिनांक 07-12-2020 की पूरक लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा रिपोर्ट का कार्यकारी सार।

5.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या 117366डब्ल्यू/डब्ल्यू-100018) द्वारा की गई आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट 12.12.19 को जारी की गई थी। उक्त लेखापरीक्षा के संबंध में एक पूरक लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा रिपोर्ट (एसएक्यूआरआर) एनएफआरए द्वारा 9.12.2020 को जारी की गई है। उक्त दोनों एक्यूआर रिपोर्ट एनएफआरए की वेबसाइट mra.gov.in पर अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। 9.12.2020 को जारी पूरक रिपोर्ट का कार्यकारी सार नीचे दिया गया है।

5.2 प्रक्रिया

राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने आईएलएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के वर्ष 2017-18 की सांविधिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा गुणवता समीक्षा (एक्यूआर) संचालित की है। एक्यूआर रिपोर्ट (एक्यूआरआर) 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। एनएफआरए ने 12 दिसंबर, 2019 को जारी एक्यूआरआर में वर्ष 2017-18 के लिए आईएफआईएन की सांविधिक लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले कुछ चुनिंदा मुद्दों की विस्तारपूर्वक जांच की है। इसने उन मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा जिन्हें पूरक एक्यूआरआर (एसएक्यूआरआर) द्वारा एक्यूआरआर में शामिल नहीं किया गया था। एनएफआरए ने 21 अक्टूबर, 2019 को एक अतिरिक्त प्रश्नावली जारी की थी। प्रश्नावली के लिए लेखापरीक्षा फर्म की प्रतिउत्तर की जांच करने के पश्चात एनएफआरए ने 1 मई, 2020 को एक प्ररूप पूरक एक्यूआर रिपोर्ट जारी की, जिस पर लेखापरीक्षा फर्म ने अपने उत्तर दिए। बाद में, लेखापरीक्षा फर्म ने एक प्रस्तुतीकरण दिया और इस दौरान चर्चा किए गए कुछ मामलों पर एक स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत किया। इस एसएक्यूआरआर की तैयारी में इस समूची सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की गई है, जिसमें वे मुद्दें शामिल है जिन्हें 12 दिसंबर, 2019 की एक्यूआरआर में समाहित नहीं किया गया था।

5.3 जांच परिणाम

5.3.1 वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में बीएसआर की नियुक्ति अवैध थी, क्योंकि

बीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(ङ) (नियुक्ति की तिथि पर कारोबारी संबंध कायम रखना) और धारा 141(3)(i) (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं का प्रावधान) के उल्लंघन के कारण ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था।

5.3.2 पात्रता के ऐसे अभाव के बावजूद, और इस प्रकार के निष्कर्षों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, एनएफआरए ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 की एक्यूआरआर में कवर नहीं किए गए लेखापरीक्षा के कुछ अन्य क्षेत्रों की जांच की है। एसएक्यूआरआर में विस्तारपूर्वक वर्णित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है। अनुवर्ती पैराओं में सूचीबद्ध मामलों को अधिक विस्तार से समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह पूर्ण एक्यूआरआर देखें।

5.3.3 एसएक्यूआरआर ने दर्शाया है कि डीएचएस एसए की अपेक्षताओं के अनुपालन में विफल रहा है। पाए गए अनुपालन में विफलता के उदाहरण ऐसे महत्व के हैं कि एनएफआरए को यह प्रतीत होता है कि डीएचएस के पास इस आशय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं था, जिसमें कहा गया था कि लेखापरीक्षा एसए के अनुसार संचालित की गई थी।

5.3.4 इस संबंध में, एनएफआरए आईसीएआई के रिपोर्टिंग मानकों संबंधी कार्यान्वयन गाइड (नवंबर 2010 संस्करण) में प्रतिउत्तर 12 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि "इस पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण दावा यह है कि लेखापरीक्षा एसए के अनुसार संचालित की गई थी।"; और यह कि "यदि लेखापरीक्षा प्रक्रिया की बाद की समीक्षा के दौरान, यह पाया जाता है कि एसए में वर्णित कुछ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का वास्तव में अनुपालन नहीं किया गया था, तो यह लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर गलत घोषणा करने के समान हो सकता है और लेखापरीक्षक के लिए इसके परिणाम वास्तव में बहुत गंभीर हो सकते हैं"। (महत्त्व देते हुए)

5.3.5 वर्ष 2017-18 के लिए आईएफआईएन का सूचित कर पूर्व लाभ **201.96 करोड़ रुपये** था। यह निम्नलिखित का क्रेडिट लेने/प्रावधान नहीं किए जाने के पश्चात सूचित किया गया था :

- (क) व्युत्पन्न परिसंपत्ति का अनुचित मूल्यांकन : **184 करोड़ रुपये** (दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 की एक्यूआरआरआर में शामिल);
- (ख) सामान्य आकस्मिकता प्रावधान का प्रत्यावर्तन : 225 करोड़ रुपये;

(ग) निवेश के मूल्य में क्षित के लिए प्रावधान नहीं किया जाना : 200.20 करोड़ रुपये (इस कुल में कुछ निवेश शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में एनएफआरए क्षित के संबंध में एक विशिष्ट राशि तक नहीं पहुंच पाया है)।

उपरोक्त सभी मामलों में, डीएचएस ने वित्तीय विवरणों में अंतिम रूप से सूचित की गई विशिष्ट संख्याओं का समर्थन करने के लिए एसए द्वारा यथापेक्षित पर्याप्त, उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। केवल ऊपर उल्लिखित 3 मदों के जोड़ से आईएफआईएन के लाभ को 609 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

- 5.3.6 एसए के कई अन्य कई उल्लंघनों का विवरण एसएक्यूआरआर में दिया गया है। ये गैर-संगत कारकों के आधार पर भौतिक राशि का निर्धारण, विशलेषणात्मक प्रक्रियाओं को लागू करने में कमियां, बाद की घटनाओं पर प्रतिउत्तर देने में विफलता और कंपनी के साथ गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों पर सृजित प्रभारों की लेखापरीक्षा में कमियों से संबंधित हैं।
- 5.3.7 नियोजन गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा (ईक्यूसीआर) तंत्र अभीष्ट कार्य के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त पाया गया।
- 5.3.8 एनएफआरए ने उन सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और प्लेटफॉर्म का भी व्यापक अध्ययन किया है जिनका उपयोग डीएचएस द्वारा उनकी लेखापरीक्षा फाइल प्रलेखन के लिए किया जाता है। एनएफआरए ने पाया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं/प्लेटफॉर्म में किमयां हैं जो प्रणालीगत और संरचनात्मक प्रकृति की हैं, और उपयोग किए गए सॉफ़्टवेयर में आईटी सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना से काफी हद तक उत्पन्न होती हैं। यह इसे लेखापरीक्षा प्रलेखन के इच्छित उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बना देता है।

अध्याय 6 एनएफआरए की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन

एनएफआरए का अधिदेश अपने क्षेत्राधिकार में लोक हित, और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या कारपोरेट निकायों से संबद्ध अन्य लोगों (दूसरे शब्दों में, कारपोरेट वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता) के हितों की रक्षा करने का है। एनएफआरए को लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके और कंपनियों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी और लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा कार्यों के प्रभावी निरीक्षण के द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए एनएफआरए द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) एक अनिवार्य घटक है। वे एनएफआरए के जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान करते हैं।

- 6.2. ऊपर वर्णित एनएफआरए के सर्वोपिर लोकहित संरक्षण अधिदेश को देखते हुए, एक ऐसी सलाहकार समिति की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है जो कारपोरेट वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं और तैयार करने वालों के मतों और चिंताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित और व्यक्त कर सके।
- 6.3 एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 15 में उपबंध है कि एनएफआरए अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए सलाहकार समितियों, अध्ययन समूहों और कार्य बलों का गठन कर सकता है।
- 6.4 तदनुसार, 17.07.2020 को एनएफआरए के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्रम	नाम और पदनाम	टीएसी में पद
सं.		
i.	डॉ आर नारायणस्वामी, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर	अध्यक्ष
ii.	सुश्री विद्या राजाराव, चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और प्रमाणित धोखाधड़ी	सदस्य
	परीक्षक (सीएफई)	
iii.	सुश्री गार्गी रे, इन्फोसिस कंसिल्टंग ग्रुप की मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
	(सीएफओ)	
iv.	श्री अनंत नारायण, क्रेडिट सुइस और मॉर्गन स्टेनली में इक्विटी रिसर्च	सदस्य
	के पूर्व प्रमुख	
v.	श्री श्रीराम सुब्रमण्यम, प्रबंध निदेशक, इनगवर्न	सदस्य

vi.	श्री एस सुब्रमण्यम, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), टाइटन कंपनी लिमिटेड	सदस्य
vii.	श्री सुहास तुलजापुरकर, मैनेजिंग पार्टनर, लेगासिस	सदस्य

6.5 टीएसी की भूमिका:

प्राधिकरण तकनीकी सलाहकार समिति (समिति) से लोक हित तथा वित्तीय विवरणों और संबंधित जानकारी के उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने अधिदेश को पूरा करने में सहायता करने की अपेक्षा करता है। समितियों की सहायता निम्नलिखित सहित कई तरीकों से आती है:

- (क) प्राधिकरण द्वारा विचार किए जा सकने वाले विचारों और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना;
- (ख) वितीय रिपोर्टिंग में वितीय रिपोर्ट तैयार करने वालों, उपयोगकर्ताओं और लेखापरीक्षकों और अन्य हितधारकों को एक लिंक प्रदान करना;
- (ग) तैयारकर्ताओं और लेखापरीक्षकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के उपयोग को बढ़ावा देना;
- (घ) प्रासंगिक, विश्वसनीय और समय पर वितीय रिपोर्टों से संगत वितीय रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं के अधिकार की रक्षा करना; और
- (ड़) लेखांकन और लेखापरीक्षा के स्वतंत्र विनियमन की भूमिका का विकास करना।

6.6 टीएसी के कार्य निम्नवत हैं :

- (i) लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के प्ररूपण से संबंधित मुद्दों पर एनएफआरए के कार्यकारी निकाय को सहायता और परामर्श देना;
- (ii) कार्यकारी निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में सुधार पर सलाह देना, विशेष रूप से एक्यूआर से संबंधित;

- (iii) वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं, तैयारकर्ताओं और लेखापरीक्षकों के दृष्टिकोण से इनपुट प्रदान करना;
- (iv) जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तरीकों के बारे में परामर्श देना
 - (क) लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में और
 - (ख) स्वतंत्र लेखापरीक्षक विनियमन के माध्यम से निवेशकों के बचाव में एनएफआरए की भूमिका;
- (v) लेखापरीक्षा गुणवत्ता के तरीकों के विकास पर परामर्श देना;
- (vi) कोई अन्य मामला जो कार्यकारी निकाय द्वारा समिति को भेजा जा सकता है।
- 6.7 टीएसी अपनी सिफारिशें एनएफआरए के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, जो उचित कार्रवाई के लिए उन पर विचार करेंगे।
- 6.8 टीएसी का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष या अध्यक्ष एनएफआरए द्वारा निर्णय के अनुसार, जो भी पहले हो, होगा।
- 6.9 टीएसी ने अपने गठन के बाद से 31.3.2021 तक पांच बैठकें की हैं और एनएफआरए के लिए मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं के संबंध में सिफारिशों के निरूपण के एक भाग के रूप में मार्च 2021 में हितधारकों के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

वर्ष 2020-2021 के दौरान एनएफआरए द्वारा किए गए अन्य प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण

- 7.1 1.04.2020 से 31.3.2021 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा किए गए अन्य प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नवत है :
- (i) कंपनी अधिनियम की धारा 132(4) के अंतर्गत निम्निलिखित के संबंध में आदेश जारी किए गए थे :
 - (क) सीए उदयन सेन (सदस्यता संख्या 31220) को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिनांक 22.07.2020 का आदेश
 - (ख) सीए रूक्शाद दारुवाला (सदस्यता संख्या 111188) को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिनांक 23.7.2020 का आदेश
 - (ग) सीए शरेनिक बेद (सदस्यता संख्या 103884) को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिशनांक 28.7.2020 का आदेश (उक्त आदेशों की प्रतियां एनएफआरए की वेबसाइट https://nfra.gov.in पर अधिसूचना खंड के तहत अपलोड की गई हैं। तथापि, 31.03.2021 तक, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उक्त तीन आदेशों में से कोई भी प्रभावी नहीं किया गया था।)
- (ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) की सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 132(4) के अंतर्गत निम्नलिख को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
 - (क) सीए एन. संपत गणेश, आईसीएआई सदस्यता संख्या 042554, साझेदार, बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, (लेखापरीक्षा फर्म पंजीकरण संख्या 116231 डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024))
 - (ख) सीए मास्टर अकील अब्बास, आईसीएआई सदस्यता संख्या 046768, साझेदार, बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, (लेखापरीक्षा फर्म पंजीकरण संख्या 116231डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024))
 - (ग) लेखापरीक्षा फर्म बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, (लेखापरीक्षा फर्म पंजीकरण संख्या 116231 डब्ल्यू/डब्ल्यू-100024))

(घ) लेखापरीक्षा फर्म डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या 117366डब्ल्यू/डब्ल्यू-100018)

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में कार्यवाही वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक दी गई है।

- (iii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एण्ड एफएस फाइनेन्शियल सर्विसेस लििमटेड (आईएफआईएन) की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनयम, 2013 के उल्लंघन पर लेखापरीक्षकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई के लिए कार्रपोरेट कार्य मंत्रालय को 19.1.2021 को एक रिपोर्ट भेजी गई थी।
- (iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संदर्भ के मद्देनजर, इन्फोसिस लििमटेड द्वारा लेखांकन मानकों के किथत गैर-अनुपालन के संबंध में एनएफआरए की सिफारिशें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को 31.05.2020 को भेजी गई थीं।
- (v) कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 132 और एनएफआरए नियम, 2018 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के संबंध में एनएफआरए की आंतरिक िनयमाप्स्तिका बनाई गई थी।
- (vi) 23.11.2020 से 27.11.2020 तक लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों पर विशेषज्ञों द्वारा एनएफआरए के परामर्शदाताओं, पेशेवरों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।
- (vii) 24.07.20 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों द्वारा ई-ऑफिस मॉड्यूल के संबंध में एनएफआरए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।
- (viii) 5.3.21 को विध कार्य विभाग द्वारा विध मामलों संबंधी एनएफआरए टीम को कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया गया था।
- (ix) एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 के अनुसार एनएफआरए डोमेन के तहत प्राधिकरण और निकायों के कर्तव्यों और कार्यों के आलोक में, समीक्षा के लिए चुनिंदा निकायों के सांविधक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा फाइलों का अनुरोध किया गया था और उन्हें प्राप्त किया गया था। वह समीक्षा के विभन्न चरणों में हैं।
- (x) एनएफआरए में सीधी भर्ती के संबंध में श्री गौरव सैनी द्वारा रिट याचिका संख्या 1192/2021 के तहत दायर किए गए अदालती मामले में बचाव किया गया था और उम्मीदवार को दस्तावेज

जमा करने का निर्देश देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसका निपटान किया गया था। उम्मीदवार ने दस्तावेज जमा किए और सीधी भर्ती के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया।


(xi) एनएफआरए द्वारा संबंधित न्यायालयों में दायर निम्नलिखित अदालती मामलों का ध्यानपूर्वक बचाव किया जा रहा है :

क्रम	फोरम	मामला संख्या	मुख्य पक्षकार	मामले का सार
संख्या				
1	माननीय दिल्ली	रिट याचिका	सीए रूक्शाद दारुवाला	कंपनी अधिनियम और की
	उच्च न्यायालय	संख्या	बनाम भारत संघ और	धारा 132(4) और एनएफआरए
		1522/2020	एनएफआरए	नियम 2018 की संवैधानिक
				वैधता को चुनौती।
2	माननीय दिल्ली	रिट याचिका	सीए उदयन सेन बनाम	उपरोक्त क्रम सं. 1 में वर्णित
	उच्च न्यायालय	संख्या	भारत संघ और	किए अनुसार।
		1524/2020	एनएफआरए	
3	माननीय दिल्ली	रिट याचिका	सीए शरेनिक बेद	उपरोक्त क्रम सं. 1 में वर्णित
	उच्च न्यायालय	संख्या	बनाम भारत संघ और	किए अनुसार।
		1525/2020	एनएफआरए	
4	माननीय दिल्ली	रीट गानिका	देवॉटर रास्क्रिय गंट	उपरोक्त क्रम सं. 1 में वर्णित
		(सी) संख्या		
	उच्च न्यायालय	(सा) संख्या	सेल्स बनाम भारत संघ और एनएफआरए	ाकर अनुसार।
5				<u> </u>
3	माननीय दिल्ली			लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा
	उच्च न्यायालय	(सी) संख्या	बनाम एनएफआरए	रिपोर्ट के संबंध में
		10446/ 2020		एनएफआरए की प्रक्रिया को
				चुनौती।
6	माननीय दिल्ली	रिट याचिका	सीए अकील मास्टर	उपरोक्त क्रम सं. 5 में वर्णित
	उच्च न्यायालय	(सी) संख्या 10448/ 2020	बनाम एनएफआरए	किए अनुसार।
7	माननीय दिल्ली		बीएसआर एंड	उपरोक्त क्रम सं. 5 में वर्णित
			एसोसिएट्स एलएलपी	
		10452/2020	बनाम एनएफआरए	3
8	माननीय दिल्ली	रिट याचिका	इंडिया अवेक फॉर	एनएफआरए को कुछ निकायों
	उच्च न्यायालय	संख्या	ट्रांसपेरेन्सी	के खिलाफ जांच करने का
		4017/2020		निर्देश देने हेतु।

9	माननीय दिल्ली	2019 की रिट	फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड	कंपनी अधिनियम की धारा
	उच्च न्यायालय	याचिका संख्या	एकाउंटेंट्स	132 की संवैधानिक वैधता को
		12096	एसोसिएशन बनाम	चुनौती।
			भारत संघ और	
			एनएफआरए	
10	माननीय	2019 की रिट	श्री बी प्रसाद राव	एनएफआरए को किसी निकाय
	तेलंगाना उच्च	याचिका (सी)	बनाम तेलंगाना राज्य	के खिलाफ जांच करने का
	न्यायालय	संख्या 27105	एवं अन्य, एनएफआरए	निर्देश देने हेतु।
			सहित	
1 1	दिल्ली में	2020 का सीए	सीए उदयन सेन बनाम	एनएफआरए के आदेश के
	माननीय	(एटी) 150	एनएफआरए	विरूद्ध अपील।
	एनसीएलएटी			
12	दिल्ली में	सीए (एटी)	सीए शरेनिक बेद	एनएफआरए के आदेश के
	माननीय	2020 का 151	बनाम एनएफआरए	विरूद्ध अपील।
	एनसीएलएटी			
13	दिल्ली में	सीए (एटी)	सीए रूक्शाद दारुवाला	एनएफआरए के आदेश के
	माननीय	2020 का 152	बनाम एनएफआरए	विरूद्ध अपील।
	एनसीएलएटी			




(एनएफआरए कर्मचारी 23.11.2020 से 27.11.2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए)



(एनएफआरए कर्मचारी 23.11.2020 से 27.11.2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए)



(एनएफआरए कर्मचारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 27.10.2020 को शपथ लेते हुए)



(अध्यक्ष एनएफआरए ने 31.10.2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान एनएफआरए कर्मचारियों को शपथ दिलाई)



(एनएफआरए कर्मचारी राष्ट्रीय संविधान दिवस पर 26.11.2020 को शपथ लेते हुए)

अध्याय 8 वर्ष 2020-2021 के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय

8.1 वर्ष 2020-2021 के लिए एनएफआरए बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार था:

(हजार रुपए में)

		1 1		(6011 647 01)
शीर्ष सं.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	बजट	संशोधित	व्यय
		अनुमान	अनुमान	
34750010506	कुल	338000	237300	228246
347500105060001	वेतन	48100	20000	19283
347500105060002	मजद्री	300	700	382
347500105060003	समयोपरि भता	100	0	0
347500105060006	चिकित्सा उपचार	500	500	96
347500105060011	देशीय यात्रा व्यय	1000	600	145
347500105060012	विदेशी यात्रा व्यय	2000	2000	0
347500105060013	कार्यालय व्यय	9000	9000	8786
347500105060014	(किराया, दरें और कर)	160000	173000	170723
347500105060016	प्रकाशन	140	100	0
347500105060020	अन्य प्रशासनिक व्यय	960	500	354
347500105060026	विज्ञापन और प्रचार	400	400	369
347500105060028	पेशेवर सेवाएं	100000	15000	11516
347500105069913	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय व्यय	15500	15500	16592*

^{*} संशोधित अनुमान से अधिक राशि का पुनः विनियोजन किया गया।

National Financial Reporting Authority (NFRA)

ANNUAL REPORT AND EXPENDITURE 2020-21

National Financial Reporting Authority 7th- 8th Floor, Hindustan Times Building, K.G. Marg, New Delhi -110001.

Index

Serial Number	Chapter	Page Number
1.	Chapter 1 – Introduction	28
2.	Chapter 2 - Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA):	29 - 30
3.	Chapter 3 - Meetings of the Authority	31 - 32
4.	Chapter 4 - Executive Summary of Audit Quality Review Report of NFRA on the Statutory Audit of IL&FS Financial Services Limited Done By BSR and Associates LLP (Firm Registration Number number: 116231W/W-100024) for the Financial Year 2017-18.	33 - 34
5.	Chapter 5 - Executive Summary of Supplementary Audit Quality Review Report dated 07-12-2020 with regard to audit of IL&FS Financial Services Limited done by Deloitte Haskins and Sells LLP (Firm Registration Number 117366W/W-100018) for the Financial year 2017-18.	35 - 36
6.	Chapter 6 – Constitution of Technical Advisory Committee (TAC) of NFRA	37 - 38
7.	Chapter 7 - Details of other salient activities undertaken by NFRA during the year 2020-2021	39 - 43
8.	Chapter 8 - NFRA Budget allocation and Expenditure for the Year 2020 - 2021	44

Chapter 1

Introduction

- 1.1 National Financial Reporting Authority (NFRA) has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 1.10.18.
- 1.2 National Financial Reporting Authority (NFRA), New Delhi, is a statutory body set up under Section 132 of Companies Act, 2013. NFRA has been established to protect the public interest and the interests of investors, creditors and others associated with the companies or bodies corporate by establishing high quality standards of accounting and auditing and exercising effective oversight of accounting functions performed by the companies and bodies corporate and auditing functions performed by auditors.
- 1.3 The entities which come under NFRA domain, duties and functions of NFRA, etc. are stated in
 - Section 132 of the Companies Act, 2013
 - National Financial Reporting Authority Rules, 2018
 - National Financial Reporting Authority (Amendment) Rules, 2019.

The said Act / Rules can be accessed from NFRA website nfra.gov.in under Acts and Rules section

1.4 The need for establishing NFRA has arisen on account of the need felt across various jurisdictions in the world, in the wake of accounting scams, to establish independent regulators, for enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, and thereby, enhance investor and public confidence in financial disclosures of companies.

Chapter 2

Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA):

- 2.1 NFRA has been constituted as per Section 132 of the Companies Act, 2013 on 1.10.2018.
- 2.2 Shri R Sridharan was appointed as Chairperson NFRA and Dr. Prasenjit Mukherjee was appointed as full time Member NFRA on 1.10.18. (Dr. Prasenjit Mukherjee joined on 3.10.18).
- 2.3 Part time members of NFRA are:
 - (i) Shri K V R Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs (MCA);
 - (ii) Shri Ram Mohan Johri, Director General, International Centre for Information Systems and Audit (ICISA), Office of Comptroller & Auditor Genera of India;
 - (iii) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India;
 - (iv) Shri Amarjeet Singh, Executive Director, Securities and Exchange Board of India;
 - (v) President, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
 - (vi) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
 - (vii) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
 - (viii) Shri Amarjit Chopra, Ex -President Institute of Chartered Accountants of India. .
 - (ix) Shri Anil Sharma, Partner (M/s A Sharma & Company, Chartered Accountants, New Delhi.
- 2.4 The recruitment of staff in NFRA via deputation / short term contract, etc. was vigorously pursued and as on 31.3.2021 the staff working in NFRA was as follows:

Serial Number	Designation	Number
7.	Secretary	1
8.	Executive Director	1
9.	Chief General Manager	1
10.	Assistant General Manager	1
11.	Manager	1
12.	Assistant Manager	4
	Total	9

2.5 In addition to the staff in para 2.4 above, the following persons were working in NFRA as on 31.3.2021

Serial Number	Designation	Mode of engagement	Number
1.	Principal Private Secretary	On Loan basis from MCA	1
2.	Consultant / Senior Consultant	On contract basis	7
3.	Professionals	On contract basis	5
	Total		13

Note: This is excluding the manpower services outsourced through various agencies.

2.6 Online examination for direct recruitment of Managers and Assistant Managers in NFRA was held in 21 cities on 5.11.2020. Physical verification / Interviews of shortlisted candidates were held from 10.1.2021 to 18.1.2021. As such the process of recruitment of staff via direct recruitment is underway.


Chapter 3

Meetings of the Authority

- 3.1 Meetings for transaction of business of the Authority are required to be carried out in accordance with National Financial Reporting Authority (Meeting for Transaction of Business) Rules, 2019. The same have been notified by Ministry of Corporate Affairs vide Gazette Notification No. G.S.R. 377(E) dated 22.5.2019 (copy on nfra website nfra.gov.in)
- 3.2 Meetings of National Financial Reporting Authority (NFRA) were held on 23.6.2020, 17.3.21 and 30.3.21 under the Chairmanship of Chairperson NFRA. The Authority considered the recommendations of Institute of Chartered Accountants of India and gave recommendations to the Ministry of Corporate Affairs in terms of Section 132 (2) (a) of Companies Act 2013 regarding the following:
 - (i) Covid-19-Related Rent Concessions Amendment to Ind AS 116, Leases
 - (ii) Amendments to Indian Accounting Standards (Ind AS 104, Ind AS 107, Ind AS 109 and Ind AS 116) and editorial corrections in various Ind AS Accounting Standards.
 - (iii) Amendments to Indian Accounting Standards consequential to issuance of New conceptual Framework for Financial Reporting issued by the International Accounting Standards Board (Ind AS 1, Ind AS 8, Ind AS 34, Ind AS 37, Ind AS 38, Ind AS 102, Ind AS 103, Ind AS 106 and Ind AS 114)



NFRA meeting held on 17.3.2021 via Video Conferencing



NFRA meeting held on 30.3.2021 via Video Conferencing

Executive Summary of Audit Quality Review Report of NFRA on the Statutory Audit of IL&FS Financial Services Limited (IFIN) Done By BSR AND ASSOCIATES LLP (FIRM REGISTRATION NO.: No. 116231W/W-100024) for the Financial Year 2017-18.

4.1 Audit Quality Review (AQR) report with regard to Statutory Audit of IFIN done by BSR AND ASSOCIATES LLP (FIRM REGISTRATION NO.: No. 116231W/W-100024) for the Financial Year 2017-18 has been released by NFRA on 17.8.2020. The detailed report is available on NFRA website nfra.gov.in under notification section. The Executive Summary of the report is stated below.

4.2 The process

The Audit Quality Review (AQR Process) was commenced on 7th February, 2019. During the process, a very extensive and detailed correspondence was carried on with BSR and Associates,LLP, (BSR), answers were sought to many questions, and additional information was requested many issues. NFRA's intermediate conclusions, along with the detailed reasoning in support of the same, was made available to BSR at two stages in the process, and BSR was afforded full opportunity to respond to the same. BSR was also invited for an oral discussion/presentation to NFRA on 27th July, 2020. Subsequent to this, BSR provided additional information/documents arising out of this discussion/presentation. All this material has been carefully scrutinised in the preparation of this AQR Report (AQRR).

4.3 The Findings

- 4.3.1 The appointment of BSR as the statutory auditor of IL&FS Financial Services Ltd. (IFIN) for the year 2017-18 was illegal, since BSR was not eligible to be appointed assuch auditor due to violation of Sec 141(3)(e) (subsisting business relationships on the date of appointment) and Sec 141(3)(i) (provision of non-audit services directly or indirectly) of the Companies Act, 2013. BSR's continuation as such statutory auditor was also violative of Sec 141(4).
- 4.3.2 Notwithstanding such lack of eligibility, and without prejudice to such finding, NFRA has conducted a full AQR. Some of the more important findings described in detail in the AQRR are mentioned below. Anyone interested in understanding the matters listed in the succeeding paras in more detail is requested to go through the full AQRR.
- 4.3.3 The instances of failure to comply with the requirements of the Standards of Auditing (SAs) that have been documented in the AQRR are of such significance that it appears to NFRA that BSR did not have adequate justification for issuing the Audit Report asserting that the audit was conducted in accordance with SAs.
- 4.3.4 In this connection, NFRA wishes to draw attention to Response 12 in the ICAI's Implementation Guide on Reporting Standards (November 2010 Edition) which says that "A key assertion that is made in this paragraph is that the audit was conducted in accordance with the SAs"; and that "If during a subsequent review of the audit process, it is found that some of the audit procedures detailed in the SAs were not in fact complied with, it may tantamount to the auditor making a deliberately false declaration in his report and the consequences for the auditor could be very serious indeed" (emphasis added).
- 4.3.5 BSR and other entities in its network de facto use the KPMG Trade Mark and Brand Name for all their audit and non-audit services, while making a clearly futile attempt to show a de jure separation from KPMG. This attempt will have to fail in view of the clear public perception of the BSR network entities being part of the larger KPMG global network, and also the legal agreements

between them. The non-audit services provided technically by the KPMG labelled entities of the network are clearly services indirectly provided by the BSR entities, and result in gross violations of the independence requirements for auditors laid down under the Companies Act, as well as the Code of Ethics mandated by the Institute of Chartered Accountants of India.

- 4.3.6 IFIN was not compliant with the minimum Net Owned Funds (NOF) and Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) prescribed for an NBFC of its type, as of 31st March, 2018. In fact, these numbers were actually heavily negative, (against a minimum positive requirement) and this non-compliance had continued since some time. The Financial Statements of an NBFC have to disclose these numbers. IFIN's management contested the RBI's computation method and decided to show positive numbers nevertheless, according to its own definition. BSR was convinced that the IFIN management was clearly in the wrong. However, they went along with the wrong numbers disclosed in the Financial Statements, contenting themselves with only an Emphasis of Matter (EOM) para in the Auditor's Report, when such EOM is justified only when the disclosure requirements as per the SAs are fulfilled. Thus, BSR failed to highlight a material misstatement of major magnitude and fundamental importance.
- 4.3.7 IFIN's reported Profit Before Tax for 2017-18 was Rs 201.96 crores. This was reported after taking credit/not providing for the following:
 - a. Reversal of General Contingency Provision: Rs 225 crores;
 - **b.** Unjustified Valuation of a Derivative Asset: Rs 184 crores;
 - **c.** Non-provision for Impairment in the value of Investments: Rs 200.20 crores. (This total excludes some investments in respect of which NFRA has not been able to arrive at a specific amount for the impairment)

In all the above cases, BSR has not obtained sufficient, appropriate audit evidence, as required by the SAs, to support the specific numbers finally reported in the Financial Statements. The total of the 3 items mentioned above alone have led to an inflation of the profits of IFIN by Rs 609 crores.

- 4.3.8 Numerous other violations of the SAs have been detailed in the AQRR. These deal with the assessment of the use of the Going Concern assumption by the management, the complete absence of the required communication with Those Charged With Governance, inadequate and improper evaluation of the Risk of Material Misstatements, determination of Materiality amounts on the basis of non-relevant factors, etc.
- 4.3.9 The Engagement Quality Control Review (EQCR) mechanism was found to be completely inadequate for the intended task.
- 4.3.10 NFRA has also extensively studied the Information Technology (IT) processes and platform that are used by BSR for their Audit File documentation. NFRA found that the IT processes/platform have deficiencies that are systemic and structural in nature, and arise substantially from a complete disregard for basic principles of IT security in the software used. This renders the audit documentation completely unfit for the intended purpose.

Executive Summary of Supplementary Audit Quality Review Report dated 07-12-2020 with regard to audit of IL&FS Financial Services Limited done by Deloitte Haskins and Sells LLP (Firm Registration Number 117366W/W-100018) for the Financial year 2017-18.

Audit Quality Review Report with regard to audit of IL&FS Financial Services Limited done by Deloitte Haskins and Sells LLP (Firm Registration Number 117366W/W-100018) for the Financial year 2017-18 was released on 12.12.19. A Supplementary Audit Quality Review Report (SAQRR) in respect of the said Audit has been released by NFRA on 9.12.2020. Both the said AQR reports are is available on NFRA website nfra.gov.in under notification section. The Executive Summary of the Supplimenatry report released on 9.12.2020 is stated below.

5.2 The Process

National Financial Reporting Authority (NFRA) has conducted an Audit Quality Review (AQR) of the statutory audit for the year 2017-18 of ILFS Financial Services Limited (IFIN). The AQR Report (AQRR) has been issued on 12th December 2019. NFRA had examined only some select issues arising out of the Statutory Audit of IFIN for 2017-18 in detail in the AQRR issued on 12th December, 2019. It reserved its right to follow up on the issues that hadnot been covered in the AQRR by a Supplementary AQRR (SAQRR). NFRA had issued an additional questionnaire on 21st October, 2019. After examining the response of the Audit Firm to the questionnaire NFRA issued a Draft Supplementary AQR report dated 1st May, 2020 for which the Audit Firm provided their replies. Later, the Audit Firm made a presentation followed by a clarification letter on certain matters discussed during the presentation. All this material has been carefully scrutinised in the preparation of this SAQRR, which covers issues which were not covered in the AQRR dated 12th December, 2019.

5.3 The Findings

- 5.3.1 The appointment of DHS as the statutory auditor of IL&FS Financial Services Ltd. (IFIN) for the year 2017-18 was illegal, since DHS was not eligible to be appointed as such auditor due to violation of Sec 141(3)(e) (subsisting business relationships on the date of appointment) and Sec 141(3)(i) (provision of non-audit services directly orindirectly) of the Companies Act, 2013.
- 5.3.2 Notwithstanding such lack of eligibility, and without prejudice to such finding, NFRA has examined certain other areas of Audit not covered in AQRR dated 12th December, 2019. Some of the important findings described in detail in the SAQRR are mentioned below. Anyone interested in understanding the matters listed in the succeeding paras in more detail is requested to go through the full AQRR.
- 5.3.3 The SAQRR has showed that DHS has failed to comply with the requirements of the SAs. The instances of failure noticed are of such significance that it appears to NFRAthat DHS did not have adequate justification for issuing the audit report asserting that theaudit was conducted in accordance with SAs.
- 5.3.4 In this connection, NFRA wishes to draw attention to Response 12 in the ICAI's Implementation Guide on Reporting Standards (November 2010 Edition) which says that "A key assertion that is made in this paragraph is that the audit was conducted in accordance with the SAs"; and that "If during a subsequent review of the audit process, it is found that some of the audit procedures detailed in the SAs were not infact complied with, it may tantamount to the auditor making a deliberately false declaration in his report and the consequences for the auditor could be very serious indeed" (emphasis added).

- 5.3.5 IFIN's reported Profit Before Tax for 2017-18 was ₹ 201.96 crore. This was reported after taking credit/not providing for the following:
 - a) Unjustified Valuation of a Derivative Asset: ₹ 184 crore (Covered in AQRRR Dated 12th December, 2019);
 - b) Reversal of General Contingency Provision: ₹ 225 crore;
 - c) Non-provision for Impairment in the value of Investments: ₹ 200.20 crore. (This total excludes some investments in respect of which NFRA has not been able to arrive at a specific amount for the impairment)

In all the above cases, DHS has not obtained sufficient, appropriate audit evidence, as required by the SAs, to support the specific numbers finally reported in the Financial Statements. The total of the 3 items mentioned above alone have led to an inflation of theprofits of IFIN by Rs 609 crore.

- 5.3.6 Numerous other violations of the SAs have been detailed in the SAQRR. These deal with determination of Materiality amounts on the basis of non-relevant factors, deficiencies in applying analytical procedures, failure to respond to subsequent events and inadequacies in auditing of creation of charges on assets mortgaged with the company.
- 5.3.7 The Engagement Quality Control Review (EQCR) mechanism was found to be completely inadequate for the intended task.
- 5.3.8 NFRA has also extensively studied the IT processes and platform that are used by DHS for their Audit File documentation. NFRA found that the IT processes/platform have deficiencies that are systemic and structural in nature and arise from a complete disregard for basic principles of IT security in the software used. This makes the audit documentation completely unfit for the intended purpose.

Constitution of Technical Advisory Committee (TAC) of NFRA

NFRA's mandate is to protect the public interest, and the interests of investors, creditors and others associated with the companies or bodies corporate (in other words, the users of corporate financial statements) over which it has jurisdiction. NFRA has to achieve this objective by establishing high quality standards of accounting and auditing, and exercising effective oversight of accounting functions performed by companies, and auditing functions performed by auditors. Audit Quality Reviews (AQRs) are an essential component of the method used by NFRA to monitor compliance with accounting and auditing standards. They also provide key inputs to the investigation and disciplinary proceedings activities of the NFRA.

- 6.2. Given the paramount public interest protection mandate of the NFRA as detailed above, the need has been strongly felt for setting up an Advisory Committee that could adequately reflect and express the views and concerns of the users of corporate financial statements, and preparers.
- 6.3 Rule 15 of the NFRA Rules, 2018, provides that the NFRA may constitute advisory committees, study groups and task forces for the effective performance of its functions under the Act.
- 6.4 Accordingly, a Technical Advisory Committee (TAC) for NFRA was constituted on 17.7.2020, comprising of the following:

S.No.	Name and Designation	Position in the TAC
viii.	Dr R Narayanaswamy, Professor, Indian Institute of Management, Bangalore	Chairman
ix.	Ms. Vidya Rajarao, Chartered Accountant (CA) and Certified Fraud Examiner (CFE)	Member
X.	Ms. Gargi Ray, Chief Financial Officer (CFO) of Infosys Consulting Group	Member
xi.	Mr. Anantha Narayan, Former Head of Equity Research at Credit Suisse and Morgan Stanley	Member
xii.	Mr. Shriram Subramanian, Managing Director, InGovern	Member
xiii.	Mr. S Subramaniam, Chief Financial Officer (CFO), Titan Company Limited	Member
xiv.	Mr. Suhas Tuljapurkar, Managing Partner, Legasis	Member

6.5 Role of the TAC

The Authority expects the Technical Advisory Committee (The Committee) to assist in fulfilling its mandate to protect the public interest and the interests of the users of financial statements and related information. The committee's assistance comes in a number of ways including the following:

- (a) Presenting, and responding to, ideas and proposals the Authority may wish to consider;
- (b) (Providing a link with preparers, users and auditors of financial reports and other stakeholders in financial reporting;
- (c) Promoting the use of high quality accounting and auditing standards by preparers and auditors;
- (d) Defending the right of users of financial reports to relevant, reliable and timely financial reports; and
- (e) Developing the role of independent regulation of accounting and auditing.
- 6.6 The functions of TAC are as follows:
 - i. Aid and advise the Executive Body (EB) of the NFRA on issues relating to the drafts of accounting standards and auditing standards;
 - ii. Advise on improvements to the processes followed by the EB, especially relating to AQRs;
 - iii. Provide inputs from the perspectives of users, preparers, and auditors of financial statements;
 - iv. Advise on suitable methods for promoting awareness
 - (a) relating to compliance with accounting and auditing standards and
 - (b) of the role of the NFRA in protecting investors through independent auditor regulation;
 - v. Advise on development of measures of audit quality;
 - vi. Any other matters that may be referred to the Committee by the EB
- 6.7 The TAC will submit its recommendations to Chairperson NFRA, who will consider the same for appropriate action.
- 6.8 The tenure of the TAC will be one year from the date of its first meeting, or as decidedby Chairperson NFRA, whichever is earlier.
- 6.9 TAC has had five meetings since its constitution till 31.3.2021 and submitted a report on Enhancing Engagement with Stakeholders in March 2021 as a part of formulation of recommendations in respect of medium and long term plans for NFRA.

.

Details of other salient activities undertaken by NFRA during the year 2020-2021

- 7.1 The details of other salient activities undertaken by National Financial Reporting Authority (NFRA) during the period 1.04.2020 till 31.3.2021 are as follows:
- (i) Orders Under Section 132(4) of the Companies Act, 2013 were issued in respect of the following
 - a) Order dated 22.7.2020 in respect of Show Cause Notice issued to Chartered Accountant (CA) Udayan Sen (Membership No 31220)
 - b) Order dated 23.7.2020 in respect of Show Cause Notice issued to (CA) Rukshad Daruvala (Membership No 111188)
 - c) Order dated 28.7.2020 in respect of Show Cause Notice issued to (CA) Shrenik Baid (Membership No 103884)
 - (Copies of the said orders have been uploaded on NFRA website nfra.gov.in under Notification section. However as on 31.3.2021, none of the said three orders had been given effect to as per the directions of Hon'ble High Court of Delhi)
- (ii) Show Cause Notices under Section 132(4) of the Companies Act, 2013 were issued to the following in respect of Statutory audit of IL&FS Financial Services Ltd (IFIN) for the Financial Year 2017-18.
 - a) CA N. Sampath Ganesh, ICAI Membership No. 042554, Partner, BSR & Associates LLP, (Audit Firm Registration No. 116231W/W-100024))
 - b) CA Master Akeel Abbas, ICAI Membership No. 046768, Partner, BSR & Associates LLP, (Audit Firm Registration No. 116231W/W-100024))
 - c) Audit Firm BSR & Associates LLP, (Audit Firm Registration No. 116231W/W-100024))
 - d) Audit Firm Deloitte Haskins and Sells LLP (Firm Reg No 117366W / W-100018)

Proceedings in respect of above Show Cause Notices have been presently stayed by the Orders of Hon`ble High Court of Delhi.

- (iii) A report was sent to Ministry of Corporate Affairs on 19.1.2021 for actions required to be taken against persons other than auditors on violations of the Companies Act, 2013 based on Audit Quality Review of IL&FS Financial Services Limited (IFIN) for the Financial Year 2017-18.
- (iv) In view of reference from Ministry of Corporate Affairs, recommendations of NFRA were sent to the Ministry of Corporate Affairs on 31.5.2020 with regard to alleged non-compliance with accounting standards by Infosys Ltd.
- (v) Internal Manuals of NFRA were made with regard to procedures and guidelines for taking actions under Section 132 of the Companies Act, 2013 and NFRA Rules, 2018.
- (vi) Training was imparted to Consultants, Professionals and other staff of NFRA by faculty of experts on Accounting and Auditing standards from 23.11.2020 to 27.11.2020.

- (vii) Training was imparted to NFRA staff with regard to E-office module by staff of National Informatics Centre on 24.7.2020.
- (viii) Training on use of Legal Information Management & Briefing System (LIMBS) was imparted to the team in NFRA Team dealing with legal cases on 5.3.2021 by Department of Legal Affairs
- (ix) In light of the duties and functions of the Authority and entities under NFRA domain as per Rule 3 of NFRA Rules 2018, Audit files were requested and received from the Statutory Auditors of select entities for review. The same are in various stages of review.
- (x) Court case filed by Shri Gaurav Saini vide writ Petition WP No. 1192 / 2021 in respect of direct recruitment in NFRA was defended and was disposed of by the Hon'ble Delhi High Court directing the candidate to submit the documents. The candidate submitted the documents and was interviewed for direct recruitment.
- (xi) Following Court cases filed are being meticulously defended by NFRA in the respective Courts:

Serial	Forum	Case Number	Main Parties	Gist of the matter
Number				
1	Hon'ble Delhi High Court	WP No. 1522/2020	CA Rukshad Daruvala V/s Union of India and NFRA	Challenged constitutional validity of Section 132(4) of the Companies Act and NFRA Rules 2018.
2	Hon'ble Delhi High Court	WP No. 1524/2020	CA Udayan Sen V/s Union of India and NFRA	Same as in serial 1 above
3	Hon'ble Delhi High Court	WP No. 1525/2020	CA Shrenik Baid V/s Union of India and NFRA	Same as in serial 1 above
4	Hon'ble Delhi High Court	WP (C) No. 1065/2021	Deloitte Haskins and Sells V/s Union of India and NFRA	Same as in serial 1 above
5	Hon'ble Delhi High Court	WP (C) No. 10446/2020	CA N Sampat Ganesh V/s NFRA	Challenged the procedure of NFRA with regard to Audit Quality Review Report
6	Hon'ble Delhi High Court	WP (C) No. 10448/2020	CA Akeel Master V/s NFRA	Same as in serial 5 above
7	Hon'ble Delhi High Court	WP (C) No. 10452/2020	BSR & Associates LLP V/s NFRA	Same as in serial 5 above
8	Hon'ble Delhi High Court	WP No. 4017/2020	India Awake for Transparency	To direct NFRA to take up investigation against few entities
9	Hon'ble Delhi High Court	WP No. 12096 of 2019	Federation of Chartered Accountants	Challenged constitutional validity

			AssociationV/s Union of India and NFRA	of Section 132 of the Companies Act
10	Hon`ble High Court of Telangana	WP (C) No. 27105 of 2019	Shri B Prasad Rao V/s State of Telangana & Ors, including NFRA	To direct NFRA to take up investigation against an entity
11	Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal. (NCLAT) at Delhi	Company appeal(CA)(AT) 150 of 2020	CA Udayan Sen V/s NFRA	Appeal against order of NFRA
12	Hon'ble NCLAT at Delhi	(CA) (AT) 151 of 2020	CA Shrenik Baid V/s and NFRA	Appeal against order of NFRA
13	Hon'ble NCLAT at Delhi	(CA) (AT) 152 of 2020	CA Rukshad Daruvala V/s NFRA	Appeal against order of NFRA




(NFRA staff undergoing training from 23.11.2020 to 27.11.2020)



(NFRA staff undergoing training from 23.11.2020 to 27.11.2020)



(NFRA staff taking oath on 27.10.2020 during Vigilance Awareness week)



(Chairperson NFRA administered oath to NFRA staff during on Rashtriya Ekta Divas on 31.10.2020)



(NFRA staff taking Oath on National Costitution Day on 26.11.2020)

NFRA Budget Allocation and Expenditure for the Year 2020-2021

8.1 NFRA Budget allocation and Expenditure for the Year 2020-2021 was as follows:

(Rs. In thousands)

Head No.	NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY	Budget Estimate	Revised Estimate	Expenditure
34750010506	TOTAL	338000	237300	228246
347500105060001	SALARIES	48100	20000	19283
347500105060002	WAGES	300	700	382
347500105060003	OVERTIME ALLOWANCE	100	0	0
347500105060006	MEDICAL TREATMENT	500	500	96
347500105060011	DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	1000	600	145
347500105060012	FOREIGN TRAVEL EXPENSES	2000	2000	0
347500105060013	OFFICE EXPENSES	9000	9000	8786
347500105060014	(RENTS, RATES AND TAXES)	160000	173000	170723
347500105060016	PUBLICATIONS	140	100	0
347500105060020	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENCES	960	500	354
347500105060026	ADVERTISING AND PUBLICITY	400	400	369
347500105060028	PROFESSIONAL SERVICES	100000	15000	11516
347500105069913	INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE EXPENSES	15500	15500	16592*

^{*}The amount in excess of Revised Estimate was re-appropriated.

